सं० सं०- 17/पेन-47/2018-36(17)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा मे,

जिला भविष्य निधि पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक :- 09/01/2026

विषय :- डा० हरि नारायण भारद्वाज, सेवानिवृत प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के जुलाई-1980 से मार्च-2007 तक की अवधि में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या-BHR/BHS-4503 में कटौती की गयी राशि के भुगतान के संबंध में।

प्रसंग :- माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.510/2024 डा० हरि नारायण भारद्वाज बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक-11.12.2025 तथा विभागीय पत्रांक-643(17) दिनांक-18.07.2024, 868(17) दिनांक-18.09.2024 एवं विभागीय पत्रांक-14(17) दिनांक-02.01.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि डा० हरि नारायण भारद्वाज, सेवानिवृत प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा जुलाई, 1980 से मार्च, 2007 तक की अवधि में अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा/कटौती की गयी राशि के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या-510/2024 दायर की गयी है, जिसमे दिनांक-11.12.2025 को न्यायादेश पारित किया गया है (छाया प्रति संलग्न)।

उक्त पारित न्यायादेश मे छः सप्ताह के अन्दर डा० भारद्वाज के माह जुलाई, 1980 से मार्च, 2007 तक की अवधि मे इनके सामान्य भविष्य निधि मे जमा/कटौती की गई राशि के भुगतान के संबंध मे अंतिम निर्णय लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रतिशपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया गया है, जिसकी सुनवाई दिनांक-15.01.2026 को निर्धारित है।

प्रासंगिक पत्र के आलोक में डा० भारद्वाज द्वारा जुलाई-1980 से मार्च-2007 तक की अवधि में सामान्य भविष्य निधि लेख संख्या-BHR/BHS-4503 में वेतन से की गयी कटौती की विवरणी विभाग एवं आपको भी उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि उक्त भुगतान के संबंध में निर्णय लेते हुए यथाशीघ्र प्राधिकार पत्र जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि भुगतान की कार्रवाई की जा सके एव इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। मामला न्यायालीय वाद से आच्छादित है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Alam sir/Letter PC3 767

(05)

ज्ञापांक– 17 / पेन–47 / 2018– 36(17) / पटना, दिनांक– 09/01 /2026

प्रतिलिपि:– निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, गर्दनीबाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि उक्त के सबध मे अपने स्तर से भी सबधित को निदेश देने की कृपा करेगे।

प्रतिलिपि :– SC-10, पटना उच्च न्यायालय, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– डा० हरि नारायण भारद्वाज, सेवानिवृत प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर, पत्राचार का पता–ग्राम+मो०–बथुआ नर्सिंग होम, ब्रहमपुरा मेन रोड, डाकघर–एम०आई०टी०, थाना–ब्रहमपुरा, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन कोड– 842003 को सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई०टी० मैनेजर / प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सभी सबंधित को ई०–मेल के माध्यम से सूचित करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/-
विशेष कार्य पदाधिकारी।